उत्तराखण्ड शासन
परिवहन एवं नागरिक उड्डयन अनुभाग-2
संख्या 115/IX/2011/66/2010
देहरादून: दिनांक 04 जून, 2011

(10)

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है;

अतएव, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश अतिआवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30 वर्ष 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) सपठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छः माह की अवधि के लिए उत्तराखण्ड परिवहन निगम में कार्यरत कर्मियों की समस्त सेवाओं को अत्यावश्यक सेवायें घोषित करते हुए उनकी हड़ताल आदि को निषिद्ध करते हैं।

एस0 रामास्वामी
प्रमुख सचिव।

संख्या 115/IX/2011/66/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: उप निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय रूड़की जनपद हरिद्वार को हिन्दी/अंग्रेजी की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में परिनियत आदेश के अन्तर्गत प्रकाशित कराने तथा उसकी 100 मुद्रित प्रतियां उप सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भेजने का कष्ट करें।

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव।

संख्या 115/IX/2011/66/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- निदेशक, सूचना उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को राज्य में प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी एवं कुमांऊ मण्डल नैनीताल।
4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6- समस्त सम्बद्ध कर्मचारी यूनियन द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम देहरादून।
7- [illegible] देहरादून।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(गरिमा रौंकली)
उप सचिव।